कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– /2020
दिनांक 22 सितम्बर, 2020

आदेश

अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्रांक 4913/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक सी0एम0ओ0/कोविड़–19/2020 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 22.09.2020 को श्री शंकर दयाल, श्री सचिन, मो0 नाजिम तथा श्री मोंटी, कर्मचारीगण, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर, जो न्यायालय परिसर जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत है, इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है तथा इस आधार पर जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर को न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन करने हेतु 24 घण्टे न्यायालय परिसर बंद करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/सीपीसी/ईकोर्ट/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 23.09.2020 को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के अर्न्तगत नीचे लिखे गये न्यायालयों को छोड़कर शेष सभी न्यायालय सैनेटाईजेशन कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्द रहेगें। निम्नलिखित न्यायालयों में दिनांक 23.09.2020 को भी वीड़ियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य किया जायेगा।

1. जिला एवं सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), बुलन्दशहर
3. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बुलन्दशहर।
4. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट), बुलन्दशहर।
5. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0–03, बुलन्दशहर।
6. न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट, न्याय कक्ष सं0–02/एन0डी0पी0एस0 एक्ट, बुलन्दशहर
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
8. न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), बुलन्दशहर।
9. न्यायालय सिविल जज (जे0डी0), प्रथम बुलन्दशहर।
10. न्यायालय सिविल जज (जे0डी0), द्वितीय बुलन्दशहर।

प्रधान न्यायधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के साथ हुई वार्ता के क्रम में उन्होने भी अवगत कराया है कि दिनांक 23.09.2020 को प्रधान न्यायाधीश, के परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में भी वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य किया जायेगा।

दिनांक 23.09.2020 को निम्नलिखित न्यायिक कार्य किये जायेंगे।

1. लम्बित एवं नये जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई
2. लम्बित एवं नये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई
3. प्रकीर्ण आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण
4. आवश्यक प्रकृति के सिविल प्रार्थना पत्रों, जिनमें निषेधाज्ञा के प्रकरण शामिल है, का निस्तारण

5. विचाराधीन बंदियों के रिमान्ड से सम्बन्धित न्यायिक कार्य

6. जनपद न्यायाधीश, जिन अन्य प्रकृति के प्रकरणों को उचित समझे उनकी सुनवाई

दिनांक 24.09.2020 को जनपद बुलन्दशहर के सभी न्यायालय एवं कार्यालय यथावत खुलेंगे।

दिनांक–22.09.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

<u>प्रतिलिपिक निम्नलिखित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रषित–</u>

1 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।
4 अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
5 अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर।
6 जेल अधीक्षक, बुलन्दशहर।
7 जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेंतु।
8 सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिए।
9 समस्त/न्यायालय एवं कार्यालय।

दिनांक–22.09.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।